

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

24 / 2021  
22-2-2021

- 1-ओमप्रकाश पुत्र नाथू खटीक आयु 45 वर्ष निवासी डांगरथल तह० निवाई जिला-टोंक
- 2-गजानन्द पुत्र नाथू खटीक आयु 40 वर्ष निवासी डांगरथल तह० निवाई जिला-टोंक
- 3-सोनू पुत्र ओमप्रकाश आयु 22 वर्ष निवासी डांगरथल तह० निवाई जिला-टोंक

-अपीलान्ट्स

बनाम

- 1-तहसीलदार निवाई जिला- टोंक
- 2-मंगल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी इन्द्रपुरी सीतापुरा सांगानेर तहसील सांगानेर जिला-जयपुर राज०

-रेस्पोजेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956  
विरुद्ध निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 2-11-2020 मिसल नम्बर  
880 / 2020

- उपस्थिति : (1) श्री श्याम सुन्दर विजय अपीलान्ट्स  
(2) श्री सै० मजहर आलम , राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट  
(2) श्री महेश कुमार शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं० 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 25-11-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 2-11-2020 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 6/3 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 7 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा 10 बिस्वा पर फसल काश्त कर अतिक्रमण को दोषी मानते हुए उक्त भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर फसल जप्त सरकार कर नीलाम करने के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।



जिला कलेक्टर  
टोंक

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स को तहसीलदार निवाई द्वारा निर्णय से पूर्व सभी पक्षकारान को पृथक-पृथक नोटिस नहीं दिया है जबकि धारा 91 के तहत सभी पक्षकारान को पृथक-पृथक नोटिस दिया जाना आज्ञापक है, जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किये जाने से न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स उक्त भूमि पर विगत 30 वर्षों से अधिक समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जिसके आधार पर अपीलान्ट्स खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस कारण अपीलान्ट्स को बेदखल करने की मियाद अवधि समाप्त हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये फसल नीलामी का एक तरफा में निर्णय पारित किया है। उक्त भूमि अपीलान्ट्स की खातेदारी एवं कब्जे शुदा भूमि के समीपस्थ है जिस पर अपीलान्ट्स व उसके चाचा रेस्पो0 सं0 2 के मध्य मेड का विवाद है इस कारण उक्त कार्यवाही मिलकर करवाई गयी है जो पूर्णतया अवैध है ओर निरस्तनीय है। हल्का पटवारी ने रंजिशवश व दुर्भावना पूर्वक रिपोर्ट की है तहसीलदार ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलान्ट्स को जिरह का अवसर नहीं दिया ओर उस रिपोर्ट को आधार बना कर अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित कर दिया। अपील का निर्णय एकतरफा में पारित किये जाने पर अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 5-2-2021 को जब रेस्पोडेण्ट सं0 2 मौके पर राजस्व कर्मचारियों / अधिकारियों को लेकर गया ओर जबरन बिना किसी वैध अधिकार के अपीलान्ट्स की फसल को नुकसान कारित कर नीलाम करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए पोल उखाडने पर हुई, जिस पर अपीलान्ट्स ने मना किया तो रेस्पोडेण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल अपीलान्ट्स को दिखाई जिस पर अपीलान्ट्स ने उक्त आदेश की नकल प्राप्त हेतु 10-2-2021 को आवेदन पेश किया ओर दिनांक 12-2-2021 को नकल प्राप्त कर जानकारी के अन्दर मियाद अपील करने में देरी को कण्डोन करने के लिए मय प्रार्थना पत्र दफा 5 के साथ पेश कर रहा है। अतः अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपीलान्ट्स के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट्स ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 6/3 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 7 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा 10 बिस्वा पर फसल काश्त कर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए पेनल्टी कायम कर फसल नीलामी के आदेश पारित करना अपील मीमो में अंकित किया है, जबकि विवादित खसरा नम्बर की भूमि पर अपीलान्ट्स ने 7 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा किया है। जिसकी नीलामी दिनांक 8-1-2021 को पूर्ण की जाकर 261000/रूपये में की जाकर फसल रेस्पोडेण्ड सं0 2 मंगल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी इन्द्रपुरी सीतापुरा सांगानेर तहसील सांगानेर जिला-जयपुर के नाम बोली छोड़ी जा चुकी है। बोली नियमानुसार लगाई जाकर अधिकतक बोलीदाता के व्यक्ति को फसल संभलायी जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

रेस्पोडेण्ट सं0 2 के अभिभाषक ने राजकीय पेरोकार की बहस का समर्थन किया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की क्रियान्विति हो चुकी है, हमारे द्वारा नीलामी की सम्पूर्ण राशि जमा करा कर फसल सुपुर्दगी में ले ली गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स का मौके से कब्जा हटा दिया है किन्तु वह एकतरफा में उक्त आदेश की आड़ में मुझ प्रार्थी को क्षति पहुँचने तथा भूमि पर पुनः



जिला कलेक्टर  
टोंक

कब्जा करने को अमादा हो रहा है। अतः प्रकरण का शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलान्तस ने आराजी खसरा नम्बर 6/3 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 7 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा में से 7 बीघा 10 बिस्वा पर फसल काश्त कर अतिक्रमण को दोषी मानते हुए उक्त भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर फसल जप्त सरकार कर नीलाम करने के आदेश पारित किये हैं। जिसकी पालना में फसल की नीलामी प्रक्रिया दिनांक 8-1-2021 को पूर्ण कर 261000/रूपये में अन्तिम बोलीदाता रेस्पोंडेण्ट सं0 2 मंगल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी इन्द्रपुरी सीतापुरा सांगानेर तहसील सांगानेर जिला-जयपुर के नाम बोली छोड़ी जा चुकी है। नीलामी की कार्यवाही राजस्व कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा मौके पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही गवाहान के समक्ष विधिवत रूप से की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अपीलान्तस राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है ओर विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

फलतः अपील अपीलान्तस अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 2-11-2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25-11-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर, टोक  
जिला कलेक्टर  
टोक